न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 65/2019
जीसीएमएस आईडी :– 2019/00293

1. जगदीप सिंह पुत्र अमरीक सिंह जाति जटसिख निवासी 20 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पुत्र नानक जाति मेघवाल निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए(1)आरटीएक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री कर्ण जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भूप सिंह मेघवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार

–:निर्णय:–

दिनांक : 05.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि चक ठाकरी बी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 3 मु.नं. 30 प.नं. 217/299 की कुल 3.162है0 बारानी खातेदारी भूमि को काश्त करने हेतु कृषि यंत्र लाने व ले जाने व फसल लाने हेतु आवागमन के लिए अप्रार्थी की भूमि चक ठाकरी बी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 40 में दर्ज मु.नं. 30 प.नं. 217/299 की कुल 3.163है0 बारानी खातेदारी भूमि में से कि.नं. 15–16–25 प्रत्येक में दो दो बिस्वा पूर्वी पासा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि उक्त विवादित मुरब्बा के कि.नं. 1 ता 12 सालम सालम व 13 में 0.126है. कुल 3.162है. बारानी भूमि हैं। तथा अप्रार्थी के पास इस मुरब्बा में कि.नं. 13/2 ता 25 में कुल 3.163है. बारानी भूमि हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी के इस रकबा में आवागमन के लिए इस मुरब्बा के कि.नं. 21 ता 25 के साथ साथ चिपते मुरब्बा में रास्ता स्वीकृत हैं लेकिन प्रार्थी ने जो रास्ता की मांग की हैं वह कि.नं. 15, 16 व 25 में की हैं।·जबकि प्रार्थी के लिए इस रकबा में कि.नं. 20 व 21 से 2 ही बीघा में रास्ता लेना होगा क्योंकि अप्रार्थी के कि.नं. 20 के चिपता हुआ कि.नं. 11 प्रार्थी स्वयं का हैं। इसलिए प्रार्थी ने जानबूझकर सरल, सहज व सुविधाजनक रास्ता की बजाय अप्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के लिए व हैरान परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया हैं जो काबिल खारिज हैं। प्रार्थी के पास अपनी जोत में आने जाने के लिए पूर्व से इस मुरब्बा के चिपते मुरब्बा के कि.नं. 16–25 में से रास्ता लिया हुआ हैं, जो मौका पर चालू हैं। प्रार्थी के पास अपनी जोत में आने जाने के लिए कई विकल्प हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी वर्तमान सूरत में ही खारिज फरमाया जावे। अगर फिर भी अप्रार्थी की जोत में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी को विकल्प में उस रास्ता की एवज में प्रार्थी के रकबा की भूमि जो अप्रार्थी की भूमि के चिपती हैं, दिलाने हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/20/302 दिनांक03.03.2020 अनुसार " चक ठाकरी बी के मु.नं. 30 प.नं. 217/299 के कि.नं. 1ता12 में 3.036है., कि.नं. 13 में 0.126है0 की कुल 3.162है0 बारानी भूमि जगदीप सिंह वल्द अमरीक सिंह कौम जटसिख के नाम से रिकार्ड दर्ज हैं। उक्त भूमि के लिए जगदीप सिंह को खेत में जाने–आने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। जिससे खेती कार्य करने [illegible] दीप सिंह मु.नं. 30 के कि.नं. 15–16–25 में 2–2 बिस्वा यानि प्रत्येक में 0.02 [illegible] दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हैं। जिसके एवज में प्रा [illegible] मु.नं. 30 के कि.नं. 15–16–25 खतेदार नारायणराम वल्द नान [illegible] दर्ज रिकार्ड हैं। मुताबिक रिकार्ड उक्त रकबा पर कोई विवाद–स्थगन नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:09:58 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी [illegible] में कथन किया कि प्रार्थी की उसकी जोत में आवागमन के प्रयोजनार्थ कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण अप्रार्थी की कृषि भूमि में से दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी रास्ता के बदले मुआवजा के तौर पर भूमि के बदले भूमि देने को तैयार हैं। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पास अपनी

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

जोत में आने जाने के लिए कई विकल्प हैं। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र मात्र अप्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार रायसिहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार जगदीप सिंह को खेत में जाने–आने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी के वैकल्पिक मार्ग का अभाव हैं। अतः प्रार्थी की रास्ता की आवश्यक्ता आत्यांतिक आवश्यक्ता हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी 251क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता हैं। एवं चक ठाकरी बी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 30 प.नं. 217/299 के कि.नं. 15–16–25 प्रत्येक में दो दो बिस्वा (यानि 0.025है.) पूर्वी पासा गैर मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थी रास्ता में आई भूमि की एवज में मुआवजा के तौर पर अप्रार्थी को अपनी अप्रार्थी के चिपती खातेदारी भूमि में से रास्ता में आई भूमि के समान भूमि देगा। तहसीलदार रायसिंहनगर उक्तानुसार स्वीकृतशुदा गैर.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तथा मुआवजा के तौर पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रकबा कम करते हुए अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करें।

निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 05.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:09:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner